ए.एफ.आर.

आरक्षित – 25.4.2022

प्रदत्त – 07.07.2022

वाद :– आपराधिक अपील संख्या 843/2014

अपीलार्थी:– विपिन

प्रत्यर्थी:–उ० प्र० राज्य

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता :– श्री रामकांत जायसवाल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता :– सुश्री रूही सिद्दीकी, ए.जी.ए.

माननीय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा,

माननीय न्यायमूर्ति कुमारी सरोज यादव,

(खंड पीठ की ओर से कुमारी सरोज यादव,न्यायमूर्ति के अनुसार)

1. यह आपराधिक अपील वर्ष 2012 के वाद अपराध संख्या 315, से उत्पन्न सत्र विचारण संख्या18/2013 में, अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 2 हरदोई

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

द्वारा पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता ,1860 (संक्षेप में भा०द०सं०) की धारा 498–ए, 304–बी और दहेज निषेध अधिनियम (संक्षिप्त में डी.पी. अधिनियम में) की धारा 3/4 और भा०द०सं० की धारा 302 के वैकल्पिक रूप में धारा 304–बी के तहत थाना अतरौली जिला हरदोई में विचारण किया गया था, जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498–ए, धारा 304–बी और डी.पी.अधिनियम की धारा ¾ से बरी किया गया, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया, और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और साथ ही 20,000/– रुपये का जुर्माना लगाया गया है, और जुर्माना अदा न करने पर छह माह के लिए अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

2 अनावश्यक विवरणों से रहित अपील के निस्तारण हेतु आवश्यक तथ्य निम्न हैं:–

दिनांक 26.4.2012 को परिवादी नेवाजी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना अतरौली, जिला हरदोई में भारतीय दंड संहिता की धारा 498–

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

ए और 304–बी के तहत मामला अपराध संख्या 315/2012 के रूप में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में प्राथमिकी) दर्ज की गई थी। लिखित प्रतिवेदन में बताया गया कि परिवादी ने दो वर्ष पूर्व ही अपनी पुत्री सीमा देवी का विवाह विपिन से कर दिया था। विपिन, बचन और बिट्टन दहेज में एक सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी और मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। परिवादी ने कई बार उनको मनाया किंतु वह नही माने परिवादी की पुत्री सीमा देवी द्वारा कई बार बताया गया कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवादी ने कई बार उनको मनाया किंतु वह नही माने। दिनांक 22.4.2012 को परिवादी की पुत्री सीमा देवी को विपिन, केदार एवं बिट्टन द्वारा केरोसिन डालकर जला दिया गया। सीमा देवी के जलने के बाद उसके मायके के लोग उसे अस्पताल ले गए जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और ससुराल वाले शव को छोड़कर भाग गए। उन्हें (परिवादी को) किसी तरह सूचना मिली और वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ बलरामपुर अस्पताल पहुंचे और वहां सीमा देवी का शव मिला। परिवादी ने मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम परीक्षण करवाया और शव को अपने घर लाकर अंतिम संस्कार कर दिया।

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

ii) रिपोर्ट 26.4.2012 को शाम 4:00 बजे दर्ज कराई गई। दिनांक 23.4.2012 को लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल के मुर्दाघर में बलरामपुर अस्पताल लखनऊ से प्राप्त सूचना के आधार पर सायं 5 बजकर 45 मिनट से 6:45 बजे तक शव की जांच पड़ताल भी की गई, जो कि अभिलेख में प्रदर्श क–5 है। इसके बाद, शव को पोस्टमार्टम–परीक्षण के लिए आवश्यक कागजात के साथ उस अधिकारी को जिसने जांच का संचालन किया, प्रेषित कर दिया। मरणोपरांत 24.4.2012 को दोपहर 12.50 बजे, दो डॉक्टरों के पैनल द्वारा मृतका की जांच की गई उसके बाद प्राथमिकी 26.4.2012 को दर्ज की गई थी और मामले की जांच की गई थी और आरोपी विपिन (मृतका का पति), बच्चन मृतका के ब्रदर इन लॉ (जेठ) और श्रीमती बिट्टन, मृतका की सिस्टर इन लॉ (जेठानी) के खिलाफ भा०द०सं० की धारा 498–ए 304–बी और डी०पी० अधिनियम की धारा 3/4 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गयाऔर संबंधित मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लिया और सत्र न्यायालय के परीक्षण के लिए सुपुर्द किया। विद्वान सत्र न्यायालय ने सभी तीनों आरोपी व्यक्तियों अर्थात्

विपिन, बच्चन, और श्रीमती बिट्टन,के खिलाफ धारा 498–ए और 304–बी और वैकल्पिक रुप से भा०द०सं० की धारा 302 के तहत आरोप विरचित किया गया

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

था। इसके अलावा डी०पी० अधिनियम की धारा 3/4 के तहत भी आरोप विरचित किया था।

iii). सभी अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

iv). अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए, सात गवाहों का परीक्षण किया जो इस प्रकार हैं:

ए. अ.सा.–1– नेवाजी (परिवादी और मृतका के पिता)

बी.अ.सा.–2–श्रीमती शिव प्यारी (मृतका की मां)।

सी.अ.सा.–3– श्री विवेक चंद्र, सी.ओ. जिन्होंने शुरू में मामले की जांच की।

डी.अ.सा..–4 – पुलिस कांस्टेबल राकेश बहादुर सिंह जिन्होंने मामला दर्ज कर संबंधित जनरल डायरी (जी.डी.) में एंट्री की।

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

ई. अ.सा.–5 श्री सुरेन्द्र बहादुर–यादव, एस.डी.एम. जिन्होंने शव का परीक्षण किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

एफ. अ.सा.–6 – श्री सुख राम भरत जो दूसरे जांच अधिकारी हैं और श्री विवेक चंद्रा (अ.सा.–3) से जांच का जिम्मा लिया ।

जी. अ.सा.–7–डॉ. सुशील कुमार श्रीवास्तव, जिन्होंने शव का पोस्टमार्टम किया।

(v).अभियोजन द्वारा मौखिक साक्ष्य के अलावा प्रासंगिक दस्तावेज भी साबित किये गए हैं, जो इस प्रकार हैं–

ए. प्रदर्श क–1–लिखित रिपोर्ट।

बी. प्रदर्श क–2 – नक्शा नजरी।

सी. प्रदर्श –3– चिक एफ०आई०आर०।

डी.प्रदर्श क–4 संबंधित जी.डी।

इ. प्रदर्श क–5–पूछताछ रिपोर्ट।

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

एफ. प्रदर्श क–6 – सी ० एम० ओ ० को एक पत्र।

जी. प्रदर्श क–7– शव का चालान।

एच. प्रदर्श क–8– शव का फोटो ।

आई. प्रदर्श क–9 नमूना मुहर।

जे. प्रदर्श का–10– आरोप पत्र।

के. प्रदर्श क–11 – पोस्टमार्टम–परीक्षण रिपोर्ट।

(vi). अभियोजन पक्ष की कार्यवाही समाप्त होने के बाद अभियुक्तों के कथन भा०द०सं० की धारा 313 के तहत अभिलिखित किये गए थे, जिसमें आरोपी विपिन ने मृतक के साथ अपनी शादी की बात स्वीकार की लेकिन शादी की तारीख पर विवाद किया। उसने दहेज की मांग के आरोप से इनकार किया और कहा कि सीमा देवी दुर्घटनावश जल गई। इसकी जानकारी होने पर उसने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। उसने इस बात से इंकार किया कि वह मृतका के शव को छोड़कर अस्पताल से भागा था। उसने यह भी कहा कि दुश्मनी के कारण रिपोर्ट दर्ज की गई थी और गवाहों ने झूठा बयान दिया है। उसने आगे कहा कि उसने खुद घटना की जानकारी मृतका के परिजनों को दी।

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

आखिरी में उसने कहा कि वह सीमा देवी के साथ अपने ही घर में रहता था। सीमा देवी घर में अकेली थी और खाना बनाते समय दुर्घटनावश जल गई। जब उसे खेत में घटना की जानकारी मिली तो वह उसे इलाज के लिए ले गया और सूचना उसके मायके भिजवा दी। इस पर उसके मायके के लोग आए और उससे पैसे की मांग की। जब उसने भुगतान नहीं किया तो उन्होंने झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई। बचाव में कोई दोषी/अपीलार्थी द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया था, हालांकि विचारण न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया था।

विद्वान विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भा०द०सं० की धारा 304–बी की सभी सामग्री सिद्ध नहीं होती। यह साबित नहीं हुआ है कि घटना शादी के सात साल के भीतर हुई थी क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा शादी की अवधि या शादी की तारीख साबित नहीं की गई थी। विद्वान विचारण न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दहेज की मांग का तथ्य भी साबित नहीं हुआ क्योंकि अ.सा.–1 और अ.सा.–2 मृतका के पिता और मां ने क्रमशः, के समक्ष दिए गए अपने बयानों में कहा है कि उन्होंने अपनी बेटी को विपिन के साथ आखिरी बार

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

खुशी–खुशी भेजा और उस समय उसकी कोई मांग नहीं थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने अ.सा.–1 के इस कथन पर भी ध्यान दिया कि उसके द्वारा प्रताड़ना या दहेज की मांग की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई और न ही उसके द्वारा कोई पंचायत बुलाई गई। अ.सा.–1 और अ.सा.–2 दोनों ने अपने बयान में कहा है कि वे गरीब व्यक्ति हैं लेकिन विपिन के पास कुछ कृषि भूमि है जिस पर वह खेती करता है। विद्वान विचारण न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि सूचना स्वयं दोषी द्वारा दी गई थी क्योंकि जिरह में अ.सा.–1 और अ.सा.–2 दोनों ने स्वीकार किया है कि उन्हें टेलीफोन पर विपिन से घटना की सूचना मिली थी।

(viii) विद्वान विचारण न्यायालय ने बच्चन और बिट्टन को उनकी कोई भूमिका नहीं पाते हुए बरी कर दिया क्योंकि अभिलेख में साक्ष्य था कि वे अपने घर में अलग–अलग रहते हैं और विवेचक ने भी नक्शा नजरी में बच्चन और बिट्टन के घर को उनके बयान के अनुसार नहीं दिखाया। उनका घर घटना स्थल के 10–15 घरों के बाद है। विद्वान विचारण न्यायालय ने वैकल्पिक आरोप विरचित करने अर्थात् भा०द०सं० की धारा 302 के लिए विपिन को दोषी ठहराया। जैसा कि विचारण न्यायालय की राय में, मृतका की मृत्यु उसके पति के घर में जली हुई

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

चोटों के कारण हुई थी और पोस्टमार्टम–परीक्षण रिपोर्ट में शव पर चार खराश के निशान पाए गए थे। दोषी द्वारा पाए गए घावों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। विचारण न्यायालय की राय में, यह दोषी विपिन का कर्तव्य था कि, जो मृतका का पति है, वह यह बताए कि उसकी मृत्यु कैसे हुई और उसके शरीर पर चोट के निशान किसने दिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत, विशेष रूप से ज्ञान के भीतर तथ्यों को स्पष्ट करने का दायित्व अभियुक्त पर है। अत: विचारण न्यायालय ने अभिन्युक्त को भा०द०सं० की धारा 302 के तहत दोषी पाया और को आजीवन कारावास की सजा सुनायी साथ ही साथ 20,000/– रुपये का जुर्माना भी लगाया। 20,000/– और व्यतिक्रम पर छह महीने की अतिरिक्त सजा सुनायी।

(ix).विचारण न्यायालय ने दोषी को भा०द०सं० की धारा 498–ए, 304–बी और डी.पी. अधिनियम की धारा ¾ के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।

3. उपरोक्त दोषसिद्धि एवं दंडादेश से व्यथित होने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

4. दोषसिद्ध/अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रमाकांत जायसवाल और प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्रीमती रूही सिद्दीकी को सुना।

5. दोषसिद्ध/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश त्रुटिपूर्ण है और अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के खिलाफ है। प्राथमिकी घटना के चार दिनों के बाद दायर की गयी थी यानी जानबूझ कर और दुर्भावनापूर्ण आशय के साथ। मौखिक साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करता हैं और विरोधाभासी हैं।

अपीलार्थी घटना स्थल पर मौजूद नहीं था क्योंकि वह घटना के समय अपने खेत में काम कर रहा था। जब उसे घटना की जानकारी मिली तो उसने स्वयं मृतका को अस्पताल में भर्ती कराया और सूचना मृतका के मायके भिजवा दी। उसने आगे कहा कि पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर ने मिट्टी के तेल की कोई गंध नहीं पाई। उसने आगे तर्क दिया कि द०प्र०सं० की धारा 313 के तहत मृतका के शरीर पर पाए गए खराश के निशान के बारे में अपीलार्थी से सवाल नहीं पूछा गया था, जो एक बड़ी त्रुटि है और आरोपी से इन चोटों की व्याख्या करने की उम्मीद नहीं की

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

जा सकती है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होगी क्योंकि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया। सबसे पहले, अभियोजन पक्ष को अपना मामला साबित करना होता है, उसके बाद ही स्पष्टीकरण देने के लिए अपीलार्थी पर भार स्थानांतरित हो जाता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में मृतका ने खाना बनाते समय गलती से आग पकड़ ली थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थी अकेला व्यक्ति नहीं था जो घर में रह रहा था, उसके माता–पिता भी उसी घर में रहते थे, इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत मृतका के शरीर पर मिली चोटों की व्याख्या करने भार केवल उसके ऊपर नहीं है। उसने आगे तर्क दिया कि मृतका के शरीर पर पाए जाने वाले खराश खूंटे और घास काटने वाली मशीन के साथ जलती हुई अवस्था में इधर उधर दौड़ने के कारण हो सकते हैं, जिसे आमतौर पर मवेशियों के लिए चारा काटने के लिए रखा जाता है।

दोषी/अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने समसुल हक बनाम असम राज्य: 2019(18) एससीसी 161 वाद मामले और साक्ष्य अधिनियम, 1872 के कानून पर पुस्तक सीडी फील्ड की टिप्पणी पृष्ठ संख्या 4640 और 4641 का

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अवलम्ब लिया।

7. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने तर्क दिया कि मृतका अपने पति, दोषी के साथ उसी घर में रह रही थी

दोषी ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। इसके बाद, वह मौके से फरार हो गया। दोषी का खुद का बयान है कि उसने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। तथ्य यह है कि दाह संस्कार मृतका के माता–पिता द्वारा किया गया था, यह विवादित नहीं है। घटना के बाद दोषी/अपीलार्थी का आचरण अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन करता है। दोषी ने अपने बयान में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत कहा है कि मृतका ने खाना बनाते समय गलती से आग पकड़ ली थी लेकिन दोषी का यह बयान विश्वसनीय नहीं है क्योंकि नक्शा नजरी में घटना स्थल को बिस्तर के साथ एक कमरे के रूप में दिखाया गया है. यदि मृतका वहीं खाना बना रही थी और गलती से आग लग गई, तो कमरे में रखे अन्य सामान क्यों नहीं जले। दोषी/अपीलार्थी ने द०प्र०सं० की धारा 313 के तहत स्वयं के कथन में भी कहा कि वह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं था। लेकिन दोषी/अपीलार्थी द्वारा

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अन्यत्रता की दलील को साबित करने के लिए ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया है, यानी घटना स्थल से उसकी फरारी। मृतका के शरीर पर पाए गए घावों की व्याख्या नहीं की गयी और डॉक्टर अ.सा.–7 को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि चोटें इस तथ्य के कारण हुईं कि मृतका जलती हुई अवस्था में इधर उधर दौड़ रही थी और खूंटे या घास काटने वाली मशीन से टकरा गयी। एक घर में रहने वाले पति–पत्नी थे और पत्नी की अप्राकृतिक मौत हुई, यानी उसके शरीर पर चोट और जलने के निशान पाए गए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत पति पर भारी भार है, यह बताने के लिए कि उसने चोट को कैसे सहा और जलाया। एक घर में रहने वाले पति और पत्नी और पत्नी की अप्राकृतिक मौत हुई है यानी उसके शरीर पर जलने के और चोट के निशान पाए गए हैं, तो पति पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत यह समझाने का भारी बोझ है कि उसे चोट कैसे लगी और वह कैसे जली।

8. विद्वान ए.जी.ए. निम्नलिखित केस कानूनों पर भरोसा किया

i) राजस्थान राज्य बनाम पार्थु (2009) 3 एससीसी (सीआरआई) 507)।

ii)शेख सत्तार बनाम महाराष्ट्र राज्य:

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

iii) रंजीत कुमार हलदार बनाम सिक्किम राज्यः (2019) (3) जेआईसी 192 (एससी)।

9. प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया गया, विचारण न्यायालय के साथ–साथ अपील के मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया और संदर्भित केस कानूनों का भी अध्ययन किया गया।

10. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि इस मामले में यह विवादित नहीं है कि मृतका दोषी विपिन की पत्नी थी और वह उसके साथ उसी घर में रह रही थी। घटना की तिथि और स्थान भी विवादित नहीं है। यह भी विवादित नहीं है कि मृतक की मृत्यु जलने से हुई चोटों से हुई वह भी दोषी/अपीलार्थी के घर में। दोषी/अपीलार्थी ने यह भी कहा है कि मृतका के जलने के बाद उसने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। दोषी विपिन का कहना है कि मृतका के खाना बनाते समय गलती से आग लग गई और उसे खेत में जहां वह काम कर रहा था, सूचना मिली और वह घर आया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। द०प्र०सं० की धारा 313 के तहत, उसने कहा है कि उसने खुद मृतका के माता–पिता के घर सूचना

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

भेजी थी। इस पर, उसके मायके के लोग आ गए और उससे पैसे की मांग करने लगे। वह पैसा नहीं दे सका, इसलिए उसे झूठा फंसाया गया। उसके बयान से पता चलता है कि उसने स्वीकार किया है कि वह मृतका के साथ उसके घर में रहा करता था। उसके अनुसार घटना के समय सीमा देवी घर में अकेली थी। उसके बयान से यह भी पता चलता है कि घटना के समय वह खेत में था।इस प्रकार, अपीलार्थी ने अन्यत्र होने की दलील दी है कि जब घटना घटी थी तब वह खेत में था लेकिन यह तथ्य किसी साक्ष्य से साबित नहीं हुआ है।

घटना के समय खेत में अपनी उपस्थिति साबित करने का भार स्वयं दोषी/अपीलार्थी पर था लेकिन उसने इसे साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया। दूसरे, उसने कहा है कि मृतका गलती से जल गयी थी, लेकिन यह तथ्य भी विश्वास करने योग्य नहीं है क्योंकि अभिलेख में साक्ष्य/सामग्री के अभाव में साबित करने के लिए कि ज्वलन दुर्घटनावश था पर्याप्त नहीं है, विशेष रूप से जब पोस्टमार्टम–परीक्षण में मृत शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे। यदि मृतका को गलती से आग लग गई थी, उसके शरीर पर चोट कैसे लगी, यह दोषी/अपीलकर्ता द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

11. दोषी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देकर चोट को सही ठहराने की कोशिश की है कि जली हुई अवस्था में इधर–उधर दौड़ते समय खूंटे और घास काटने की मशीन से टकराने से ये चोट लग सकती है। लेकिन ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है या इस संबंध में चिकित्सकीय गवाह यानी अ.सा.–7 से कोई सवाल नहीं पूछा गया है, जिसने शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया था। अतः इस तर्क में कोई बल नहीं है।

12.दोषी/अपीलार्थी के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को सभी उचित परिस्थितियों से परे साबित करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और पीड़ित/अपीलार्थी पर यह समझाने के लिए बोझ नहीं डाला जा सकता है कि मौत कैसे हुई। उसने विधि साक्ष्य अधिनियम, 1872 पर सी.डी. फील्ड की टिप्पणी का अवलम्ब लिया और प्रस्तुत किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का वहाँ कोई प्रयोग नहीं हो सकता जहां कई लोग घर में रहते हैं और इस मामले में,अ.सा.–1, के कथनानुसार मृतका के सास और श्वसुर उसी घर में रहते थे। इस प्रकार, घर दोषी/अपीलार्थी के अनन्य कब्जे

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

में नहीं था, इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत दोषी/अपीलार्थी पर यह समझाने का भार नहीं डाला जा सकता है कि मृतका कैसे जल गयी और चोट कैसे लगी,लेकिन दोषी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क इस कारण से मान्य नहीं है कि दोषी/अपीलार्थी ने खुद द०प्र०सं० की धारा 313 के तहत अपने बयान में कहा है। कि वह अपनी पत्नी सीमा देवी के साथ अपने घर में रहता था। उसने यह नहीं कहा कि दुर्घटना के समय उसके माता–पिता वहां थे या खाना बनाते समय मृतका ने गलती से आग पकड़ ली थी।

13. रंजीत कुमार हलदार बनाम सिक्किम राज्य (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में निम्न प्रकार से निर्धारित किया है कि:–

"14) सामान्य नियम यह है कि सबूत का भार अभियोजन पर होता है। अधिनियम की धारा 106 को अभियोजन को उनके कर्तव्य राहत से देने के लिए नहीं किया गया था, लेकिन यह उस स्थिति को पूरा करने के लिए कल्पित किया गया है जिसमें अभियोजन पक्ष के लिए उन तथ्यों को स्थापित करना असंभव या

अस्वीकरण–

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

कठिन होगा जो विशेष रूप से अभियुक्तों के ज्ञान में हैं।

15) शंभु नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य, एआईआर 1966 एससी 404 में, न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी–

"8..धारा 106 धारा 101 के लिए एक अपवाद है

धारा 101 सबूत के भार के बारे में सामान्य नियम बताती है।

"जो कोई भी किसी भी न्यायालय से किसी भी कानूनी अधिकार या दायित्व के रूप में निर्णय लेने की इच्छा रखता है, जो तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर करता है, उसे यह साबित करना होगा कि वे तथ्य मौजूद हैं।

उदाहरण (ए) कहता है– "ए चाहता है कि न्यायालय यह निर्णय दे कि बी को उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके बारे में ए कहता है कि बी ने अपराध किया है। ए को यह साबित करना होगा कि बी ने अपराध किया है।

9. यह सामान्य नियम निर्धारित करता है कि एक आपराधिक मामले में सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर होता है और धारा 106 निश्चित रूप से इसे उस कर्तव्य से राहत देने का इरादा नहीं रखता है। इसके विपरीत, यह कुछ असाधारण

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

मामलों को पूरा करने के लिए इसकी रचना की गयी है, जिसमें यह असंभव होगा, या गैर–आनुपातिक रूप से कठिन होगा, अभियोजन पक्ष के लिए किसी भी तथ्यों को स्थापित करना जो विशेष रूप से अभियुक्त के ज्ञान में हैं और जिन्हें वह बिना किसी कठिनाई या असुविधा के साबित कर सकता है। यह शब्द विशेष रूप से यह शब्द उस पर बल देता है। इसका अर्थ उन तथ्यों से है जो उसके ज्ञान में पूर्व–प्रतिष्ठित या असाधारण हैं। अगर इस धारा की अलग तरह से व्याख्या की जाए तो यह चौंकाने वाला निष्कर्ष निकलेगा कि हत्या के मामले में आरोपी पर यह साबित करने का भार होता है कि उसने हत्या नहीं की क्योंकि उससे बेहतर कौन जान सकता है कि उसने किया या नहीं।यह स्पष्ट है कि यह मंशा नहीं हो सकती है और प्रिवी काउंसिल ने दो बार इस खंड का अर्थ लगाने से इनकार कर दिया है, जैसा कि भारत के बाहर कुछ अन्य अधिनियमों में पेश किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि एक अभियुक्त व्यक्ति पर यह दिखाने का भार है कि उसने अपराध नहीं किया। जिसमें उसका विचारण हुआ है। ये मामले एट्टीगले बनाम सम्राट ,(1936 पीसी 169)और सेनेविरत्ने बनाम आर . [(1936) 3 ए ईआर 36 49] हैं।

xx xx xx

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

11. हम मानते हैं कि चित्रण उस खंड की सामग्री को समाप्त नहीं करता है जो यह दिखाता है लेकिन समान रूप से यह न तो कम कर सकता है और न ही इसके दायरे का विस्तार कर सकता है और यदि कुछ तथ्यों का ज्ञान वें अभियोजन पक्ष के लिए उपलब्ध है, तो क्या इसे उचित परिश्रम का चयन करना चाहिए, जैसा कि अभियुक्त के लिए, यह तथ्य विशेष रूप से अभियुक्त की जानकारी में नहीं कहा जा सकता है। यह एक खंड है जिस पर व्यवहारिक बुद्धि से विचार किया जाना चाहिए, सुविधा का संतुलन और श्रम की की अनुपातहीनता जो दांव पर लगे मुद्दे की तुच्छता के खिलाफ संतुलित कुछ तथ्यो को खोजने और साबित करने में शामिल होगा और जिस आसानी से अभियुक्त उन्हें साबित कर सकता है वे सभी मामले हैं जिस पर सोच विचार करना चाहिए। धारा का उपयोग कानून के सुस्थापित नियम को कमजोर करने के लिए नही किया जा सकता है, जो मामले के एक बहुत ही असाधारण वर्ग को छोड़कर, भार अभियोजन पक्ष पर है और कभी भी स्थानांतरित नहीं होता है।

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

14. राजस्थान राज्य बनाम ठाकुर सिंह: 2014(12) एससीसी 211 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था दी है:–

15. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के प्रावधानों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया। यह प्रावधान, अन्य बातों के साथ–साथ, यह प्रदान करता है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है।

16.काफी पहले शंभू नाथ बनाम अजमेर राज्य में इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 106 की व्याख्या पर विचार किया था और यह माना था कि धारा केवल सबूत के भार(अपराध के मामले में) को स्थानांतरित करना नहीं है लेकिन ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जहां एक तथ्य केवल अभियुक्त को ही पता हो और अभियोजन पक्ष के लिए उस तथ्य को साबित करना लगभग असंभव या अत्यंत कठिन हो। यह कहा गया था (एआईआरपी 406 पैरा 11):

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"11. यह धारा 101 सामान्य नियम निर्धारित करती है कि एक आपराधिक मामले में सबूत का बोझ अभियोजन पक्ष पर होता है और धारा 106 निश्चित रूप से उस कर्तव्य से मुक्त करने का इरादा नहीं रखती है। इसके विपरीत, यह कुछ असाधारण मामलों को पूरा करने के लिए कल्पित किया गया है जिसमें अभियोजन पक्ष के लिए उन तथ्यों को स्थापित करना असंभव होगा, जो विशेष रूप से अभियुक्त के ज्ञान में हैं और जिन्हें वह विशेष रूप से कठिनाई के बिना साबित कर सकता है। यह बल देता है कि इस शब्द का अर्थ तथ्य है जो उनके ज्ञान के भीतर पूर्व–प्रतिष्ठित या असाधारण हैं। अगर इस धारा की अलग तरह से व्याख्या की जाए तो यह चौंकाने वाला निष्कर्ष निकलेगा कि हत्या के मामले में आरोपी पर यह साबित करने का भार होता है कि उसने हत्या नहीं की क्योंकि उससे बेहतर कौन जान सकता है कि उसने किया या नहीं।

17. त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य के विशिष्ट उदाहरण में इस न्यायालय ने माना कि जब पत्नी उस आवास गृह में घायल हो जाती है जहां पति आमतौर पर रहता है, और पति अपनी पत्नी को चोटों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो परिस्थितियां इंगित करें कि चोटों के लिए पति जिम्मेदार है। यह

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

कहा गया था। (एससीसी पृष्ठ 694 पैरा 22)

"22 जहां एक अभियुक्त पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया गया है और अभियोजन पक्ष यह दिखाने में सफल रहा है कि अपराध होने से कुछ समय पहले, उन्हें एक साथ देखा गया था या अपराध गृह में होता है जहां पति भी सामान्य रूप से होता है रहता है, यह लगातार माना गया है कि अगर आरोपी कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है कि पत्नी को चोटें कैसे लगीं या ऐसा स्पष्टीकरण पेश करता है जो झूठा पाया जाता है, तो यह एक मजबूत परिस्थिति है जो इंगित करती है कि वह अपराध करने के लिए जिम्मेदार है।

15. वर्तमान मामले में, दोषी/अपीलार्थी ने हालांकि कहा है कि घटना के समय वह खेत में था, यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि वह घर में मौजूद नहीं था और खेत में था। तथ्य यह है कि मृतका ने खाना बनाते समय गलती से आग पकड़ ली थी, यह साबित करने के लिए किसी सबूत/सामग्री के अभाव में भी विश्वास करने योग्य नहीं है कि उसी कमरे में रखे गये अन्य सामान जहाँ वह कथित रुप से खाना बना रही थी और दुर्घटनावश आग लग गई थी, नहीं

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

जले थे।

इसके अलावा, जब दोषी घटना के समय मौजूद नहीं था, तो उसे कैसे पता चला कि खाना पकाते समय उसकी पत्नी को गलती से आग लग गई थी।

16. दोषी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया है कि द०प्र०सं० की धारा 313 के तहत, दोषी से मृतक के शरीर में मिली चोट के बारे में नहीं पूछा गया था इसलिए वह उसके शरीर पर पाए गए घावों की व्याख्या नहीं कर सकता। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने समसुल हक बनाम असम राज्य (उपरोक्त) का अवलम्ब लिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया है: –

"22 यह कहना सामान्य है कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्वोक्त, द्वारा संदर्भित निर्णयों को ध्यान में रखते हुए

अभियोगी सामग्री को अभियुक्त के पास रखा जाना चाहिए ताकि अभियुक्त को स्वयं अपना बचाव करने का निष्पक्ष अवसर प्राप्त हो सके। यह दूसरे पक्ष की भी सुने दूसरे पक्ष को भी सुनें सिद्धांतों की पहचान में है है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा पूर्वोक्त संदर्भित निर्णयों के अलावा, हम उपयोगी रूप से असरार अल बनाम

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

असम राज्य में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं। प्रासंगिक अवलोकन निम्नलिखित पैराग्राफ हैं।

"21. संहिता की धारा 313 न्यायालय पर यह कर्तव्य डालती है कि वह अभियुक्त से उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से पूछताछ या परीक्षण प्रश्न करे। इससे आवश्यक परिणाम निम्नानुसार है कि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण परिस्थिति को उसके सामने विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से और पृथक रूप से रखना आवश्यक है और ऐसा करने में विफलता गंभीर अनियमितता के बराबर होती है जो वाद को बिगाड़ती है, यदि ऐसा दर्शित हो कि अभियुक्त पूर्वाग्रह से ग्रसित था।

22 .संहिता की धारा 313 का उद्देश्य न्यायालय और अभियुक्त के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। यदि

साक्ष्य में एक बिंदु अभियुक्त के विरुद्ध महत्वपूर्ण है, और दोषसिद्धि का उद्देश्य उस पर आधारित होना है, यह सही और उचित है कि अभियुक्त से मामले के बारे में पूछताछ की जानी चाहिए और इसे स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए जहां

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में एक अनुचित सामग्री पर कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं किया गया है ,यह वाद को खराब कर देगा। बेशक, ये सभी सवार के अधीन हैं कि क्या उन्होंने न्याय या पूर्वाग्रह का गर्भपात किया है। इस न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 (संहिता की धारा 313 के अनुरूप) की धारा 342 पर विचार करने के दौरान एस हरनाम सिंह बनाम राज्य(दिल्ली प्रशासन) (एआईआर 1976 एससी 2140) में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया था कि विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी को इसके प्रासंगिक पहलुओं में आपत्तिजनक सामग्री का संकेत न देना अभियोजन मामले की भेद्यता को बढ़ाता है। धारा 313 के तहत आरोपी का बयान अभिलिखित करना एक उद्देश्यहीन कवायद नहीं है।

17. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपराधी से द०प्र०सं० की धारा 313 के तहत मृतका के शरीर पर मिले चोट के निशान के बारे में, विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछा गया है लेकिन उसके द्वारा मिट्टी का तेल डालकर सीमा देवी को जलाने के बारे में एक सवाल पूछा गया है। उसने जवाब दिया कि उसको गलती से आग लग गई और उसने उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया। जब उससे अ.सा.–7,पोस्टमार्टम–

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

परीक्षण करने वाले चिकित्सक के बयान के बारे में पूछा गया तो उसने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। इन परिस्थितियों में, संदर्भित मामला कानून दोषी/अपीलार्थी की कोई मदद नहीं करता है क्योंकि दोषी/अपीलार्थी और मृतका घटना के समय उसी घर में रह रही थी और उसकी मृत्यु जलने की चोटों से हुई थी और उसके शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए थे वह भी शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर। घर का कोई अन्य सामान जला हुआ नहीं पाया गया।यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि दोषी/अपीलार्थी घटना के समय मौके पर मौजूद था क्योंकि उसका आरोप है कि वह खेत में था।

18. जहां तक परिवादी द्वारा पैसे की मांग के बारे में दोषी/अपीलार्थी के विद्वान वकील के तर्क का संबंध है, यह एक बहुत ही कमजोर तर्क है, क्योंकि दोषी ने खुद कहा है कि मृतका की मृत्यु के बाद, उन्होंने पैसे की मांग की थी। यदि यह मान भी लिया जाए कि उन्होंने मांगे गए पैसे का भुगतान नहीं करने के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो दोषी के घर में मृतका की मृत्यु आग लगने के साथ–साथ प्राप्त चोटों के कारण हुई है, केवल यह कहने से नहीं मिटाया जा सकता है कि उन्होंने पैसे की मांग की थी। इस तथ्य को साबित करने के लिए भी किसी व्यक्ति की जांच

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

नहीं की गई कि परिवादी ने पैसे की मांग की थी। चिकित्सकीय साक्ष्य आकस्मिक मौत नहीं दिखाते हैं क्योंकि शव पर चोट के निशान पाए गए थे। अन्यत्रता की दलील को निश्चित रूप से स्थापित किया जाना बाकी है लेकिन तथ्य को स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है।

19. शेख सत्तार बनाम महाराष्ट्र राज्य (उपरोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था दी है–

"35.निस्संदेह, अन्यत्रता की दलील को स्थापित करने का भार अपीलार्थी पर था।अपीलार्थी यहां उन तथ्यों या परिस्थितियों को अभिलेख में लाने में बुरी तरह से विफल रहा है जो उसकी अनुपस्थिति की दलील को संभाव्य करेंगे,मात्र अकेले, युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करे। अन्यत्रा की दलील को पूर्ण निश्चितता के साथ होना चाहिए ताकि प्रासंगिक समय में किराए के परिसर में उपस्थित होने की संभावना को समाप्त किया जा सके। जब एक अभियुक्त द्वारा अन्यत्रता की दलील दी जाती है तो यह अभियुक्त पर निर्भर करता है कि सकारात्मक साक्ष्य द्वारा उक्त दलील को स्थापित करे,

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

जो वर्तमान मामले में नहीं किया गया है। हम यहां इस स्तर पर गुरप्रीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य(2002) 8 एससीसी 18 के मामले में निर्धारित कानून के प्रस्ताव को भी देख सकते हैं,जो इस प्रकार है:

"20..... इस अन्यत्रा की याचिका पर दोनों न्यायालयों ने विश्वास नहीं किया और चूंकि अन्यत्रा की याचिका एक तथ्य का सवाल है, दोनों न्यायालयों ने समवर्ती रूप से अपीलकर्ता, अभियुक्त, के खिलाफ तथ्य पाया, यह न्यायालय हमारे विचार में, विशेष अनुमति द्वारा अपील पर तथ्य के उपर्युक्त समवर्ती निष्कर्ष के पीछे नहीं जा सकता"।

20. वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि चोटें किसने लगाईं। मृतका दुर्घटनावश आग की चपेट में आ गयी। यह साबित नहीं होता कि दोषी/अपीलार्थी घटना के समय खेत में काम कर रहा था।

21. इस प्रकार, संक्षेप में, इस मामले में, घटना की तिथि और स्थान विवादित नहीं है। चिकित्सा साक्ष्य से दर्शाता है कि मृतक की मृत्यु पूर्व जलने की चोटों से

अस्वीकरण–

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

हुई थी और शव पर चोट के निशान भी पाए गए थे। दोषी/अपीलार्थी ने इस तथ्य को साबित नहीं किया कि वह घटना के समय खेत में था। दोषी का यह कथन कि मृतक ने खाना पकाते समय गलती से आग पकड़ ली थी, विश्वसनीय नहीं पाया गया। मृतक और दोषी/अपीलार्थी घटना के समय एक ही घर में रह रहे थे, तो यह दोषी/अपीलार्थी का कर्तव्य था कि वह यह बताए कि मृतका ने कैसे आग लगाई और उसके शरीर पर चोट के निशान कैसे आए। इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय ने दोषी अपीलकर्ता को भा०द०सं०की धारा 302 के तहत अपनी पत्नी सीमा देवी की मृत्यु का कारण बनने के लिए,उचित दोषी ठहराया है, और तदनुसार,सजा सुनाई।विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई सजा और सजा में हस्तक्षेप करने का कोई कारण या आधार प्रतीत नहीं होता है।

22.परिणामस्वरूप, अपील में कोई गुण नहीं है और एतदद्वारा, खारिज की जाती है।

23.दोषी/अपीलार्थी विपिन कारागार में है। उसे विचारण न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाएगी।

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

24. विचारण न्यायालय से मूल अभिलेख,प्राप्त निर्णय की प्रति के साथ संबंधित न्यायालय को सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए वापस भेजी जाए।

अस्वीकरण–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"